न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / 2624 / 2005 / भीलवाड़ा

श्री मोती लाल मुतबन्ना श्री छोटा जाट निवासी दांतड़ा हाल जालमपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

...अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती पानी पुत्री श्री पन्ना तथाकथित पुत्री श्री छोगा जाट पत्नी श्री सोनाथ जाट निवासी दातड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य
श्री डी.आर. मीणा, सदस्य

उपस्थितः

श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री अजीत सिंह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी।

———

निर्णय

दिनांक : 15 जून, 2012

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधियिम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 134 / 98 में पारित निर्णय दिनांक 28–6–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी / वादिया ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत् मौजा दांतड़ा तहसील हुरड़ा में स्थित आराजी क्रमशः खसरा नंबर 659 रकबा 15 बिस्वा, ख. नं. 660 रकबा 15 बिस्वा, ख. नं. 661 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 2100 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 2101 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 2102

रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा के बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–03–98 से वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 1880, 1881 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा का वादिया को एकामात्र खातेदार घोषित किये जाने व इसमें से प्रतिवादी का नाम हटाने तथा हाल खसरा नंबरान 659, 660, 661, 2100, 2101, 2102 कुल किता 6 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा में वादिया व प्रतिवादी दोनों का 1/2 – 1/2 हक का सह–खातेदार घोषित कर रेकार्ड में अंकन के आदेश दिये। साथ ही वादिया की खातेदारी, सह–खातेदारी के कब्जे काश्त की आराजी में प्रतिवादी दखलअन्दाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील दायर की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–6–2000 के द्वारा अपील खारिज कर दी। मण्डल की खण्डपीठ ने अपने एक पक्षीय निर्णय द्वारा दिनांक 20–7–2000 को अपील एडमीशन के स्तर पर खारिज कर दी।

3. मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–7–2000 के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मण्डल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 20–4–2005 से नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–7–2000 को निरस्त करते हुए अपील को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हिदायत पैरवी नहीं कर देने मात्र से एकतरफा कार्यवाही करने में विधिक भूल की है जबकि ऐसा करने से पूर्व अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा कभी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। प्रत्यर्थी छोगा की पुत्री नहीं है बल्कि पन्ना की पुत्री है। प्रत्यर्थी ने गलत तौर पर अपने को छोगा की पुत्री बताया है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादिया का वाद डिक्री करने में विधिक भूल की है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के समय अपीलार्थी

की आयु केवल 4 वर्ष थी तथा अपीलार्थी तभी से छोगा के पास रहा तथा छोगा का क्रियाकर्म व सेवा–चाकरी अपीलार्थी ने की। रस्म–रिवाज के अनुसार अपीलार्थी की पगड़ी बाँधी गई तथा उसे छोगा का उत्तराधिकारी माना गया। सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा अपीलार्थी का है। विवादित आराजी बाबत् सन् 1975 में तहसील हुरड़ा में प्रकरण संख्या 22 / 75 के निर्णय दिनांक 22–9–75 के आधार पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य नामान्तरकरण खुला जो आपसी सहमति का बंटवारानामा था, जिससे प्रत्यर्थी अब मुकर नहीं सकती। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उक्त तथ्यों को छिपा कर डिक्री प्राप्त कर ली, जिसे निरस्त नहीं कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय में श्री उम्मेदमल मेहता अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक थे। उनसे कई बार मुकदमें के बारे में जानकारी की किन्तु उनहोंने कहा कि खिलाफ पार्टी का मुकदमा खारिज हो गया है। इस प्रकार श्री मेहता द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 10–8–98 का हल्का पटवारी से अपीलार्थी को जानकारी हुई। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं देकर विधिक भूल की है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के न्यायालय में वादी प्रत्यर्थी श्रीमती पानी ने विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा का वाद अपीलार्थी प्रतिवादी मोती के विरूद्ध दिनांक 12–8–1992 को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31–10–1992 को प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह मेहता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 6–4–1994 को प्रतिवादी का जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बन्द कर मूल वाद को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10–4–1995 को वादी एवं उसके अभिभाषक के

उपस्थित नहीं होने पर मूल वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 31–7–1996 को मूल वाद को 30/–रूपये कास्ट पर पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया गया।

8. आदेशिका दिनांक 3–9–1997 के अनुसार अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा नो–इन्सट्रक्शन प्लीड किये जाने पर प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। जब किसी पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में पैरवी हेतु अभिभाषक नियुक्ति हेतु अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात् उस अभिभाषक द्वारा जब न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में नो–इन्सट्रक्शन प्लीड किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकार को नियमानुसार नोटिस जारी होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये, जिसे विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी सन्देहास्पद स्थिति है कि जब अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31–10–1992 को विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में पैरवी हेतु अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह मेहता के पक्ष में वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया तो अभिभाषक द्वारा मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाबदावा क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। जब विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 6–4–1994 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बन्द कर दिया गया तब भी अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी पक्ष की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे एवं दिनांक 3–9–1997 को अचानक विचारण न्यायालय के समक्ष नो–इन्सट्रक्शन प्लीड कर दी। विचारण न्यायालय को ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को न्यायालय की ओर से नोटिस भेजकर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दिया जाना आवश्यक था।

10. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 3–9–1997 को प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के उपरान्त वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू–1 पानी एवं पी.डब्ल्यू.–2 हरनाथ के बयान लिपिबद्ध किये गये तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को एकतरफा में दिनांक 23–3–1998 को डिक्री कर दिया। इस प्रकार विचारण

न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया। राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–4–2005 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को इसी आधार पर स्वीकार किया गया था कि मूल वाद में अपीलार्थी प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 3–9–1997 को नो–इन्सट्रक्शन प्लीड करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने चाहिए थे। उक्त विधिक त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को पुनः अन्वीक्षा हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

11. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 23–3–1998 एवं 28–6–2000 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

12. चूंकि मूल वाद वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया था, अतः विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल वाद में दिन प्रति दिन की तारीख पेशी नियत करते हुए प्रकरण को निस्तारण विधिसम्मत् प्रक्रिया अपनाते हुए अधिकतम् छः माह की अवधि में आवश्यक रूप से करेगें।

13. पक्षकारान को जरिये अभिभाषकगण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के न्यायालय में दिनांक 18–7–2012 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डी.आर. मीणा)
सदस्य

(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य